(ग) उपरोक्त प्रत्येक माह के अंत में चीनी के कुल भंडार की मात्रा क्या थी;

(घ) क्या सरकार ने देश में प्रति माह खुले बाजार में विक्रय हेतु चीनी आवंटित करने की मात्रा को निर्धारित करने के लिए कुछ निश्चित आधार नियत किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लेवी चीनी और खुली बिक्री चीनी का मासिक आबंटन तथा उक्त महीनों के अंत में देशी चीनी का स्टॉक दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न है। (नीचे देखिए)

(घ) और (ङ) आंतरिक उपयोग के मासिक खुली बिक्री कोटे की मात्रा उत्पादन, स्टॉक, आवश्यकता, अन्य मीठे पदार्थों जैसे गुड़ व खांडसारी की उपलब्धता, कीमतों की प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखते हुए नियत की जाती है।

विवरण

लेवी चीनी और खुली बिक्री की चीनी के मासवार आवंटन तथा प्रत्येक मास के अन्त में स्वदेशी चीनी के स्टाक को बताने वाला विवरण

(लाख मीटरी टन)

मास	चीनी का आबंटन		मास के अन्त में स्वदेशी चीनी का स्टॉक (अनन्तिम)
	लेवी चीनी	खुली बिक्री की चीनी	
अक्तूबर, 1993	3.92	7.06	20.00
नवम्बर, 1993	3.66	7.37	19.02
दिसम्बर, 1993	3.52	6.37	29.10
जनवरी, 1994	3.51	5.75	42.45
फरवरी, 1994	3.52	5.65	52.52
मार्च, 1994	3.50	6.00	57.92
अप्रैल, 1994	3.36	5.45	55.92
मई, 1994	3.34	4.90	48.56
जून, 1994	3.36	5.60	40.46
जुलाई, 1994	3.36	6.00	34.74 (27-7-94 की स्थिति के अनुसार)
जोड़	35.05	60.15	

Reduction in Food Subsidy

3284. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the share of food subsidy in the total non-plan expenditure during 1970, 1980, 1990 and 1994;

(b) whether Government have reduced the food subsidy;

(c) if so, what has been the role of issue prices of foodgrains in reducing food subsidy;

(d) what is share of transit and storage losses; and the cost of foodgrains operations; and

(e) the steps taken by Government to reduce storage and transit losses vis-a-vis economic cost of operations of buffer stock?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) The amount of Food Subsidy paid by the Government of India and the total non-plan expenditure of the Government during the years 1970-71, 1980-81, 1990-91 and 1994-95 are as under:—

(Rs. in Crores)

Year	Amount of Subsidy	Total non-plan expenditure
1970-71	18	3684
1980-91	650	13894
1990-91	2450	76933
1994-95(BE)	4000	105117

(b) No Sir.

(c) If the issue price of foodgrains was not raised, the amount of subsidy would have been higher by the actual incidence of C.I.P. increase.

(d) Storage and transit losses are not treated as part of economic cost but are reimbursed separately on regularisation.

(e) Various measures have been taken to reduce the storage and transit shortages vis-a-vis, Economic cost of operation. These cover:—

1. Installation of weigh-bridges in godowns.

2. Augmentation of covered storage capacity.

3. Encouraging machine stitching of the begs.

4. Installation of in-motion wagon weigh-bridges.

5. Reduction in the Quantum of foodgrains filled in each bag.

6. Administrative measures such as tightening of security at depots, intensifying surprise checks, ensuring regular stock verifications etc.

7. Permission to Food Corporation of India to undertake open market sales of wheat and rice with a view of reducing stocks.

8. Maximising the godown capacity utilisation. Presently the capacity utilisation is 88% as on 31st July, 1994.

9. Reducing the incidence of shortages in handling.

10. Continuing broadly the policy of ban on entry level posts and not filling up of resultant posts to reduce establishment cost.

Sugar Factories in Cooperative Sector

3285. SHRI B.K. HARI PRASAD: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Karnataka's proposals for setting up two sugar factories in cooperative sector and eight in the private sector are pending with the Centre for clearance; and

(b) if so, the status of the same and the likely time-frame for processing the proposals towards early decision?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) 60 proposals received through the Department of Industrial Development for setting up of new sugar factories in the State of Karnataka have been scrutinised by the Screening Committee. After examination, recommendations of the Ministry of Food were sent to the Ministry of Industry for consideration by the Licensing Committee. As on 30.6.1994, 5 letters of intent in the cooperative sector and one in private sector have been issued by the Ministry of Industry. Four applications of the private sector are still under consideration in the Ministry of Industry. In regard to one proposal in the cooperative sector, certain information/ clarification was called for from the Government of Karnataka. This information is still awaited.

गेहूं का खरीद मूल्य

3286. **श्री अजीत जोगी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के लिये गेहूं का खरीद मूल्य और उपभोक्ताओं के लिये गेहूं का निर्गम मूल्य कितना-कितना निर्धारित किया गया है:

(ख) उपभोक्ताओं के लिये आयातित गेहूं का निर्गम मूल्य क्या होगा;

(ग) क्या यह आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल में रखा जाएगा या इसे गेहूं की कमी वाले राज्यों को आवंटित किया जायेगा और इन राज्यों को गेहूं की कितना मात्रा आवंटित किये जाने का विचार है; और

(घ) सरकार को इस प्रकार गेहूं आवंटित करने में प्रति किलो के हिसाब से कितना नुकसान होने की संभावना है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1994-95 के दौरान गेहूं का वसूली मूल्य 350 रु० प्रति क्विंटल है। 1.2.1994 से गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) 402 रु० प्रति क्विंटल है।

(ख) किसानों से वसूल किया गया स्वदेशी और विदेश से आयात किया गया, दोनों प्रकार का गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) जारी किया जा रहा है।

(ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में रखे जा रहे स्टाक से आयातित गेहूं सहित गेहूं के आवंटन विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से प्राप्त हुई मांगों, उनकी सापेक्ष आवश्यताओं, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक आदि के आधार पर प्रत्येक मास किये जाते हैं।

(घ) 1994-95 (बजट अनुमान) में लगाए गए अनुमान के अनुसार सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में वहन की जाने वाली प्रति किलोग्राम गेहूं की हानि 1.62 रुपये है।